


न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना

टोडा ग्रिट उधोग बनाम शंकरसिंह वगै०

मु.न. 26/2025

२७.११.२५ पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार पाटन से पूर्व में प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। वकील वादी की विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने तहसीलदार पाटन से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दर्ज करते हुए वादपत्र में मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार पाटन से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं वकील वादी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि तहसीलदार पाटन से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से वकील वादी सहमत है। अतः वाद वादी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो। यह निर्णय आज दिनांक 07.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राजवीर सिंह यादव)
सहायक कलक्टर,
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना
नीमकाथाना (शांकर)



डिकरी व मुकदमे इत्दादाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना मुकाम नीमकाथाना
व इजलास राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), नीमकाथाना

1. टोडा ग्रिट उधोग एल एल पी जरिये पार्टन नीरज कुमार अग्रवाल पुत्र जगदीश प्रसाद अग्रवाल जाति महाजन निवासी मकान नं. आर जेड डी 3 ए, कॉलोनी, पालम, डावरी रोड महावीर एन्वलेव साउथ वेस्ट दिल्ली- 110045

-वादी-

बनाम

1. शंकरसिंह पुत्र स्व. बिशनसिंह जाति राजपूत निवासी टोडा नीमकाथाना जिला सीकर।
-प्रतिवादीगण-

मुकदमा नम्बर- 26/2025
दावा बाबत विभाजन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना व हाजरी श्री रोशनलाल अग्रवाल एडवोकेट वादी मिनजानिब मुददई रूबरू मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हों।

निज.....x.....मुबलिग.....x.....बाबत.....x.....
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....x.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....x.....को अदा करें। बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 07 माह 11 सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर



दस्तखत

सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)
नीमकाथाना(राज0

मुददई	रूपया	पै.	मुददायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा	/		स्टाम्प अर्जी दावा	/	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुकमनामा		
हुकमनामा		मुतफरिक			
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।